अध्याय
01

संविधान— क्यों और कैसे?

सीखने के प्रतिफल

- छात्र भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जान सकेंगे।
- छात्र भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे।

संविधान क्या है?

संविधान कुछ ऐसे मूलभूत या आधारभूत नियमों का लिखित दस्तावेज हैं जिसके आधार पर राज्य (देश) का निर्माण किया जाता है और उसका शासन चलाया जाता है

संविधान की क्या आवश्यकता है ?

- संविधान विविध जाति, धर्मा, वर्गों तथा मान्यताओं वाले लोगों के बीच परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना विकसित करता है।
- समाज में निर्णय शक्ति किसके पास होगी इसका निर्धारण करता है ।
- सरकार का गठन कैसे होगा?
- सरकार की सीमाओं को तय करता है।
- नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करता है।
- नागरिकों को उसका कर्तव्य बोध बताता है ।
- समाज के आकांक्षाओं, जरूरतों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है ।
- संविधान किसी राष्ट्र या देश को एक सामूहिक और संगठित इकाई के रूप में पहचान देता है।

© JCERT not to be republished

संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका

भारत में संविधान का निर्माण करने और उसे प्रचलन में लाने का कार्य राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के द्वारा किया गया इसके पीछे राष्ट्रीय आंदोलन की समृद्ध विरासत थी।

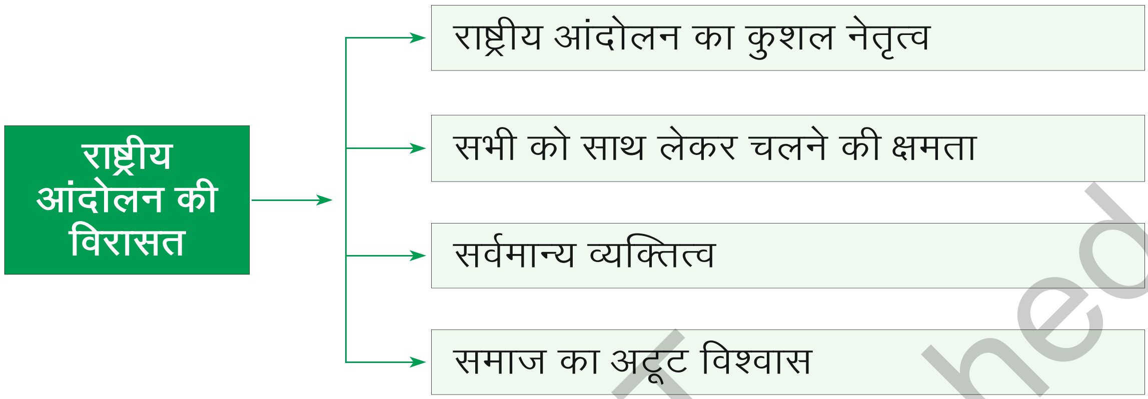

जनमत संग्रह:

इसे मत संग्रह या जनमत भी कहा जाता है।यह एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी विशेष प्रस्ताव को क्षेत्र विशेष के मतदाताओं को मतदान के द्वारा स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है।

संविधान असफल कब होता है?

- जब यह सैनिक शासकों या तानाशाह के द्वारा बनाया जाता है ।
- जब यह अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाया जाता है।

मौलिक प्रावधान

- बुनियादी ढांचा
- आधारभूत सिद्धांत
- संविधान की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिस पर समूची व्यवस्था आधारित होती है।
- संविधान की सर्वोच्चता
- संसदीय शासन प्रणाली
- शक्तियों का विभाजन
- संघीय शासन व्यवस्था
- पंथनिरपेक्षता
- मौलिक अधिकार
- न्यायिक स्वतंत्रता
- कानून का शासन
- कार्यपालिका की स्वतंत्रता
- निष्पक्ष चुनाव प्रणाली

© JCERT not to be republished

भारतीय संविधान कैसे बना?

भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जिसके गठन की सिफारिश कैबिनेट मिशन (1946 ई०) के द्वारा की गई थी।

कैबिनेट मिशन के प्रावधान

- प्रत्येक प्रांत और देसी रियासतों को उनके जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई ।
- प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा ।
- प्रत्येक प्रांत की सीटों में जनसंख्या के हिसाब से मुसलमानों, सिखों और सामान्य वर्ग में बांट दिया।
- प्रांतीय सदस्यता का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया गया था।
- देसी रियासतों को अपने पसंद के सदस्य को चुनने का अधिकार था।

संविधान सभा का गठन

- संविधान सभा
- (385 सदस्य)
- प्रांतों से
- 292 सदस्य
- देसी रियासतों से
- 93 सदस्य

© JCERT not to be republished

- संविधान सभा की पहली बैठक — 9 दिसंबर 1946 ई०को
- भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की वास्तविक सदस्य संख्या — 299
- संविधान सभा की अंतिम बैठक — 26 नवंबर 1949
- अंतिम बैठक में उपस्थित सदस्य संख्या — 284
- संविधान बनने में लगा कुल समय — 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
- कुल बैठकों की संख्या — 166 दिन

संविधान की कार्य विधि

संविधान निर्माण के लिए विभिन्न मुद्दों पर कई समितियों का गठन किया गया था ताकि संविधान के निर्माण का कार्य सुचारू ढंग से संपन्न हो सके।

1. प्रमुख समितियां

2. अध्यक्ष

3. प्रारूप समिति

4. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर

5. संघ संविधान समिति

6. राज्य समिति

7. पंडित जवाहरलाल नेहरू

8. प्रांतीय संविधान समिति

9 .परामर्श समिति

10. मौलिक अधिकार समिति

11. सरदार वल्लभभाई पटेल

12. संचालन समिति

13. नियम समिति

14. डॉ राजेंद्र प्रसाद

15. झंडा समिति

16. जे बी कृपलानी

उद्देश्य प्रस्ताव

1946 ई० को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संप्रभुता तथा एक सर्वजनिन पहचान जैसी मूलभूत प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप प्रदान किया गया।

1. संविधान सभा के समक्ष विचारणीय प्रश्न

2 भारत में सरकार का स्वरूप कैसा हो?

3 सरकार की संरचना कैसी हो?

4 हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए?

5 विभिन्न समस्याओं या असमानता की पहचान करना।

6 समस्याओं के समाधान का तरीका क्या हो?

संस्थागत व्यवस्थाएं

1. शक्तियों का विभाजन

2. सरकार के अंग

3. विधायिका

4. कार्यपालिका

5. न्यायपालिका

6. कानून का निर्माण करना

© JCERT not to be republished

7. कानून को लागू करना

8. कानून का उल्लंघन करने पर दंड देना

विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान

1. ब्रिटेन का संविधान

- कानून का शासन
- संसदीय शासन प्रणाली
- कानून निर्माण की विधि

2. आयरलैंड का संविधान

- राज्य के नीति निर्देशक तत्व

3. फ्रांस का संविधान

- स्वतंत्रता,समानता और बंधुत्व का सिद्धांत

4. कनाडा का संविधान

- अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत
- संघीय शासन प्रणाली

5. अमेरिका का संविधान

- मौलिक अधिकार
- न्यायिक पुनरावलोकन
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता

6. सोवियत संघ

- मौलिक कर्तव्य

7. दक्षिण अफ्रीका का संविधान

- संविधान संशोधन की प्रक्रिया

निष्कर्ष:-

भारत के संविधान निर्माताओं ने अपनी बुद्धिमता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक सर्वमान्य संविधान प्रस्तुत किया। इसे बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसका अनुकरण कई देशों विशेषकर दक्षिण अफ्रीका ने किया। भारत का संविधान केवल जटिलताओं का संग्रह न होकर एक जीवंत दस्तावेज है।

© JCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तक के प्रश्न — उत्तर

प्रश्न 1. इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है?

(क) यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है।

(ख) यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग-अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है।

(ग) यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं।

(घ) यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है।

उत्तर- (ग) यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रमाणिकता संसद से ज्यादा है?

(क) संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था ।

(ख) संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे ।

(ग) संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन-कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(घ) संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती।

उत्तर (ग) संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन-कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी

प्रश्न 3. बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत?

(क) सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है।

(ख) संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और इसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है

(ग) संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं।

(घ) संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है।

उत्तर- (क) सही, (ख) गलत, (ग) गलत ,(घ) सही

© JCERT not to be republished

प्रश्न 4. बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही हैं या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताएं।

(क) संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था।

(ख) संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रुपरेखा के बारे में आम सहमति थी।

(ग) संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि का दिखा सकता दूसरे देशों से लिया गया है।

उत्तर (क) उक्त अनुमान सही नहीं है। हालांकि संविधान सभा का चुनाव सभी नागरिकों द्वारा नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी संविधान सभा भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती थी। संविधान सभा में भारत के जनसाधारण के समस्त वर्गों, क्षेत्रों तथा धर्मों के प्रतिनिधि थे। अगर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया जाता तो भी प्रायः वही लोग चुने जाते जो संविधान सभा के सदस्य थे।

(ख) उक्त अनुमान भी सही नहीं है। सर्वविदित है कि संविधान सभा में ज्यादातर सिद्धांतों एवं प्रावधानों पर अत्याधिक वाद-विवाद के पश्चात ही आम सहमति हुई थी तथा उसके बाद ही कोई फैसला लिया गया था।

(ग) उक्त अनुमान भी सही नहीं है । हमें मौलिक संविधान के स्थान पर ऐसे संविधान की परमआवश्यकता थी जो तत्कालीन भारतीय समाज के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए । यह अधिनियम चूँकि हमारे देश में पहले से ही लागू था तथा हमारे नेतृत्व कर्ताओं को इसका पर्याप्त अनुभव था । इसी प्रकार भारतीय संविधान ने स्वयं में विश्व के विभिन्न देशों के संविधान के अनेक सिद्धांतों एवं प्रावधानों को ग्रहण तो किया गया लेकिन उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल संशोधित करके ही अपनाया गया।

प्रश्न 5. भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में दे।

(क) संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ। इसके लिए जनता के मन में आदर था।

(ख) संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि उसने उलट-फेर मुश्किल है।

(ग) संविधान जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र है।

© JCERT not to be republished

उत्तर-(क) (1) हमारे संविधान निर्माता अत्याधिक विद्वान थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद थे जो आगे चलकर भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति भी बने।

(2) पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा वह बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने । प्रारूप समिति के "अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर" को आज भी भारतीय जनमानस भारी सम्मान देता है।

(ख) (1) भारतीय संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का विभाजन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, तथा न्यायपालिका में इस प्रकार से किया गया कि कोई भी एक संस्था अपने बल पर संवैधानिक ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है।

(2) संघ एवं उसके इकाई राज्यों में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों संघीय सूची, राज्य सूची, तथा समवर्ती सूची, के अंतर्गत किया गया है।यहां यह उल्लेखनीय है कि शक्तियों के विभाजन में किसी प्रकार का बदलाव करना कठिन प्रक्रिया है।

(ग) (1) अत्यंत संतुलित एवं न्याय पूर्ण भारतीय संविधान में समाज के विभिन्न वर्गों के व्यापक हितों के अनुरूप अनेक प्रावधान किए हैं। जहां छुआछूत को संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, वहीं व्यस्क मताधिकार, मूलाधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से जनसाधारण की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं को पूर्ण करने की व्यवस्था की गई है

(2) संविधान में लोक कल्याण को पर्याप्त महत्व दिया गया है तथा न्याय के बुनियादी अर्थात आधारभूत सिद्धांत का परिपालन किया गया है।

प्रश्न 6. किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ-साफ निर्धारण क्यों जरूरी है?इस तरह का निर्धारण ना हो, तो क्या होगा?

उत्तर- किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों (उत्तरदायित्वो) का साफ-साफ निर्धारण इस वजह से जरूरी है कि संबंधित देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। यदि किसी देश के संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों को साफ-साफ अर्थात स्पष्ट निर्धारण नहीं किया जाएगा तो संघ अर्थात केंद्र तथा इसकी इकाइयों में सदैव मतभेद एवं गतिरोध की प्रबल संभावना बनी रहेगी।

प्रश्न 7. शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे?

उत्तर- विश्व के प्रत्येक संविधान में शासकों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इस प्रावधान का मूल उद्देश्य शासकों की निरंकुश तथा असीमित शक्तियों पर अंकुश रखकर जनसाधारण के हितों को प्राथमिकता प्रदान करना होता है। प्रत्येक संविधान में शासकों की शक्तियों पर अंकुश के व्यापक प्रावधान किए जाते हैं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो इस शक्ति का उपयोग जनसाधारण द्वारा मताधिकार के रूप में किया जाता है। ऐसा कोई संविधान नहीं हो सकता जो अपने नागरिकों को कोई अधिकार

© JCERT not to be republished

ना दें। हालांकि तानाशाही शासकों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर आचरण किए जाने के कारण नागरिक स्वतंत्रता ओं का अवश्य हनन किया जाता है लेकिन संविधान में नागरिक अधिकार एवं शक्तियों का पर्याप्त प्रावधान किया गया होता है।

प्रश्न 8. जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था । जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था, जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो । क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है?

उत्तर- दूसरे विश्वयुद्ध में जापान पराजित हुआ और उस पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण हो गया। चूँकि जिस समयावधि में जापान का संविधान बना उस समय वह अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था अत: देश के संवैधानिक प्रावधानों पर अमेरिकी प्रभाव होना स्वभाविक ही था। संविधान जापानियों ने अपनी इच्छा से निर्मित नहीं किया बल्कि यह तो उन पर आधिपत्य वाले देश द्वारा लादा गया था। क्योंकि दूसरे देश के लोगों को स्थानीय देश के लोगों के मूल्यों एवं आदर्शों का उचित ज्ञान नहीं होता है, अथवा इस तरह के संविधान निर्माण में आवश्यक रूप से कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।

भारतीय संविधान निर्मित करने का अनुभव जापान से सर्वदा अलग प्रकार का था। भारत का संविधान बनाते समय भारत एक स्वतंत्र, आजाद देश बन चुका था। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसके सदस्यों का निर्वाचन हालांकि व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया, तथापि इस संविधान सभा में समस्त वर्गों एवं क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विद्वानों सम्मिलित थे संविधान सभा में सभी फैसले पर्याप्त वाद विवाद तथा ।आपसी सहमति के लिए गए इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान निर्माण का भारतीय अनुभव जापान तथा दूसरे देशों से सर्वदा अलग था।

प्रश्न 9. रजत ने अपने शिक्षक से पूछा- 'संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज हैऔर इस कारण पुराना पड़ चुका है।किसी ने उसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं?'अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते?

उत्तर- यदि मैं एक शिक्षक होता तो छात्र रजक को समझाता कि संविधान 50 साल पुराना दस्तावेज मात्र ना होकर नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा स संकलन है जिसका परिपालन समाज के व्यापक हितों हेतु परमावश्यक है । रजत कानूनों की वजह से ही समाज में शांति एवं व्यवस्था बनती है जिससे लोगों का जीवन एक संपत्ति सुरक्षित रहते हैं और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास हेतु उचित वातावरण बनता है।

© JCERT not to be republished

संविधान में समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करके इसे आधुनिक एवं व्यवहारिक बनाया गया है। यदि संविधान की भाषा कठिन एवं कानून के अनुरूप नहीं होगी तब कोई भी शासक अथवा व्यक्ति इसका गलत अर्थ में उपयोग कर सकता है। कठिन भाषा शैली के बावजूद यह नागरिक अधिकारों की पूर्ण गारंटी देता है अतः रजत तुमको इसका पालन करना चाहिए।

प्रश्न 10. संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में तीन वक्ताओं ने तीन अलग-अलग पक्ष लिए-

(क) हरबंस - भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है।

(ख) नेहा - संविधान में स्वतंत्रता समानता, और भाईचारा सुनिश्चित करने का वादा है । चूँकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल है।

(ग) नाजिमा - संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया। क्या आप इनमे से किसी पक्ष से सहमत हैं, यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं तो आप अपना पक्ष बताएं ।

उत्तर- मैं हरवंश तथा नाजिमा के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं । इससे किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में पूरी तरह से सफल रहा है। हालांकि भारतीय संविधान को कुछ असफलताओं का भी सामना करना पड़ा है । मेरा स्पष्ट अभिमत है कि यह संविधान की असफलता ना होकर इसको चलाने वाले लोगों की विफलता है।

© JCERT not to be republished

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई ?

a. 7 दिसंबर 1947

b 11 जनवरी 1950

c. 9 दिसंबर 1946

d. 26 नवंबर 1950

2. भारत का संविधान कब लागू हुआ?

a. 26 नवंबर 1949

b. 24 नवंबर 1950

c. 26 जनवरी 1950

d. 15 अगस्त 1947

3. भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया ?

a. मसौदा समिति

b. स्वतंत्रता समिति

c. संविधान सभा

d. कोई नहीं

4. संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा?

a. 1 वर्ष 11 महीना 12 दिन

b. 3 वर्ष 3 महीना 2 दिन

c. 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन

d. 2 वर्ष 12 महीना 12 दिन

5. प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ?

a. महात्मा गांधी

b. जवाहरलाल नेहरू

c. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर

d. इनमें से कोई नहीं

© JCERT not to be republished

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है?
2. संविधान क्या है?
3. जनमत संग्रह क्या है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को समझाएं।
2. भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों को लिखें।

© JCERT not to be republished